कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 18.01.2026

विषयः- शादी का झांसा देकर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण व जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त थाना चितईपुर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी के पर्यवेक्षण में, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर व प्रभारी निरीक्षक चितईपुर के कुशल नेतृतव में थाना चितईपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 215/2025 धारा 69, 351(3), 352 बीएनएस एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त शिव शंकर तिवारी पुत्र नारायण तिवारी, निवासी हिंडालको कॉलोनी, रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (उ0प्र0), उम्र लगभग 26 वर्ष को गैर प्रान्त महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-- दिनांक 06.12.2025 को प्रार्थिनी द्वारा अभियुक्त शिवशंकर तिवारी द्वारा विधिवत विवाह का झांसा देकर प्रार्थिनी का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण व प्रार्थिनी के अनुसूचित जाति की होने का अपमान करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर विवाह से इंकार कर दिया तथा जान से मारने, समाज में बदनाम करने एवं घर पर आकर परिजनों को नुकसान पहुँचाने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना चितईपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार थाना चितईपुर पर मु0अ0सं0- 215/2025 धारा- 69, 351(3), 352 बीएनएस एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमा में अभियुक्त शिव शंकर तिवारी लगातार फरार चल रहा था। जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट के अनुपालन में उपनिरीक्षक अवनीश कुमार मय पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, सीडीआर एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शिव शंकर तिवारी पुत्र नारायण तिवारी, निवासी हिंडालको कॉलोनी, रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (उ0प्र0), उम्र लगभग 26 वर्ष को दिनांक 16.01.2026 को थाना हिंजवाड़ी क्षेत्र, पिपरी-चिंचवड़, पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान - दिनांक 16.01.2026 को, स्थान- थाना हिंजवाड़ी क्षेत्र, पिपरी-चिंचवड़, पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-शिव शंकर तिवारी पुत्र नारायण तिवारी, निवासी हिंडालको कॉलोनी, रेनुकूट, जनपद सोनभद्र (उ0प्र0), उम्र लगभग 26 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण- मु0अ0सं0- 215/2025 धारा- 69, 351(3), 352 बीएनएस एवं 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 श्री राकेश गौतम थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अवनीश कुमार थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 कमल किशोर थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी